


वि



न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष/सदस्य महोदय राजस्व मण्डल

व्वालियर म.प्र.

PBR/किराती/रतलाम/भूरा/2018/0317

1. पुखराजमल पिता शैतानमल जी जाति जैन
2. सुरज बाई बेवा शैतानमल जी जाति जैन

निवासी ग्राम ढोढर टप्पा तह.ढोढर तह.जावरा जिला रतलाम म.प्र.

.....प्रार्थीगण /आवेदकगण

श्री सुधामणि शैतानमल द्वारा आज दि. 11-1-18 प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 24-1-18 नियत।

बनाम

1. माधुलाल पिता वज्जा जी जाति गायरी धंधा कृषि

महोदय न्यायालय के उदिय के बालन में प्रतिप्रार्थी माधुलाल मुक्तक के वारीताप की निराकी के दिनांक में नाम चत्या किंच जाये :-

उदिय दिनांक 13/3/2018 के बालन में चत्या किया गया --

मुक्तक बालन के वारीताप के नाम :-

- 119- राजकमलकाई बति रक. माधुलालजी बति गायरी आयु 48 साल, चत्या- भेती,
- 121- नन्दलाल पिता रक. माधुलालजी जाति गायरी, आयु 36 साल, चत्या- भेती,
- 134- मधुलाल पिता रक. माधुलालजी जाति गायरी आयु 34 साल, चत्या-भेती तभी निवासीगण ग्राम ढोढर तहसील जावरा जिला रतलाम [म090]

दिनांक 23/3/2018

प्रार्थीयां द्वारा अधिकाधिक

(Signature)

प्रार्थीगण/ आवेदकगण कि ओर से निम्नानुसार प्रस्तुत ह :-


1. यह है कि प्रार्थीगण/ आवेदकगण द्वारा न्यायालय टप्पा तह.ढोढर में दिनांक 20/09/17 को न्यायालय में विचाराधिन प्रकरण क्र. 07अ-0/16-17 में एक आवेदन पत्र धारा 32 भू.रा.सं. का था आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी के अंतर्गत प्रस्तुत निरंतर..

29

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - पीबीआर/निगरानी/रतलाम/भू.रा./2018/317

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10/11/19	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री समरथ खुराना उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी नायब तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24.4.19 को कलेक्टर, जिला रतलाम के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;"> प्रशासकीय सदस्य</p>	